ISSN 2277 - 7083

आधुनिक साहित्य

Aadhunik Sahitya

साहित्य, संस्कृति एवं आधुनिक सोच की त्रैमासिकी

UGC Approved Care Listed Journal

अंक/Year-12 अंक/Vol.-45 द्विभाषी/Bilingual

जनवरी - मार्च / Jan. - March 2023

संपादक

डॉ. आशीष कंधवे

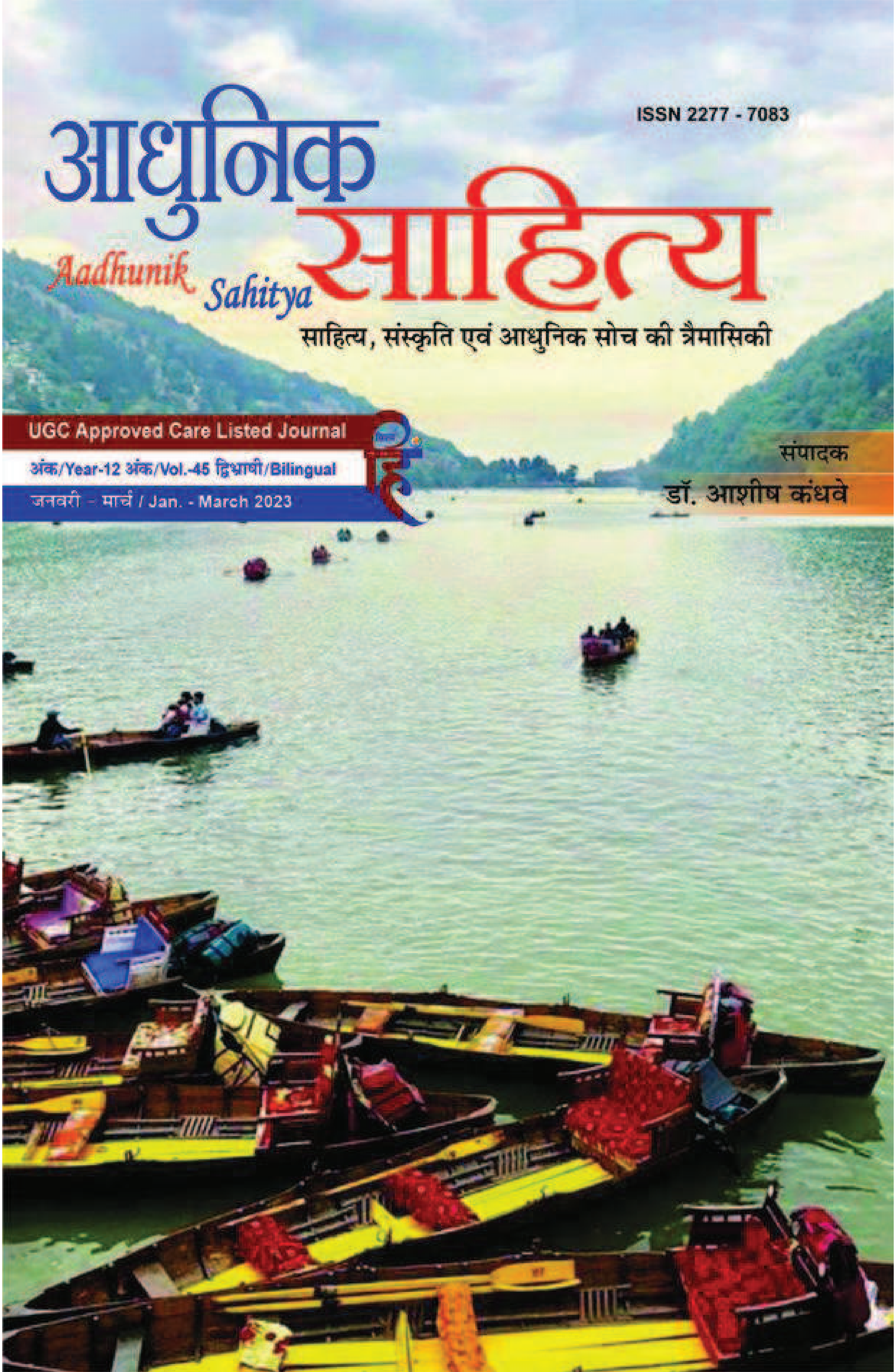

UGC Approved CARE Listed Journal

आधुनिक साहित्य

साहित्य, संस्कृति एवं आधुनिक सोच की त्रैमासिकी

वर्ष/Year-12 अंक/Vol.-45 जनवरी–मार्च 2023/January–March 2023 द्विभाषी/Bilingual

Aadhunik Sahitya

संपादक

डॉ. आशीष कंधवे*

Editor

Dr. Ashish Kandhway

उप संपादक	Sub Editor
रजनी सेठ	Rajni Seth
प्रबंध संपादक	Managing Editor
ममता गोयनका	Mamta Goenka
संवाददाता (अंग्रेजी)	Correspondent (English)
निलांजन बैनर्जी	Nilanjan Banerjee
संरक्षकगण	Patron
प्रो. उमापति दीक्षित	Prof. Umapati Dixit
कुमार अविकल मनु	Kumar Avikal Manu

*आशीष कंधवे (मूल नाम आशीष कुमार)

आधुनिक साहित्य में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबन्धित लेखकों के हैं जिनसे संपादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं पत्रिका से जुड़े किसी भी व्यक्ति का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। सभी विवादों का निपटारा दिल्ली क्षेत्र के अन्तर्गत सीमित है। पत्रिका में सम्पादन से जुड़े सभी पद गैर–व्यावसायिक एवं अवैतनिक हैं।

आधुनिक साहित्य

साहित्य, संस्कृति एवं आधुनिक सोच की त्रैमासिकी

UGC Approved CARE Listed Journal

केंद्रीय हिंदी संस्थान के सहयोग द्वारा प्रकाशित

RNI No. DELBIL/2012/42547
ISSN 2277 - 7083

© सर्वाधिकार सुरक्षित
प्रकाशित सामग्री के पुनः उपयोग के लिए लेखक, अनुवादक अथवा आधुनिक साहित्य की स्वीकृति अनिवार्य है।

संपादकीय कार्यालय
एडी-94-डी, शालीमार बाग, दिल्ली-110088
फोन : 011-47481521, +91-9811184393
ई-मेल : aadhuniksahitya@gmail.com
adhuniksahitya@gmail.com

आलेख/रचना/कहानी में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के हैं इससे प्रकाशक या संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

मूल्य : **₹ 500 प्रति अंक**

शुल्क : तीन वर्ष (12 अंक) ₹ 6000
पांच वर्ष (20 अंक) ₹ 9000
(डाक/कोरियर खर्च सहित)
आजीवन सदस्यता ₹ 21,000
विदेश के लिए (3 वर्ष) 200 डॉलर

शुल्क **'AADHUNIK SAHITYA'** के नाम पर भेजें।

Account Name	:	Aadhunik Sahitya
Account No.	:	16800200001233
Bank	:	Federal Bank Ltd.
Branch	:	Shalimar Bagh New Delhi-110088
IFSC Code	:	FDRL0001680

'आधुनिक साहित्य' द्विभाषी त्रैमा"की आशीष कुमार के स्वामित्व में और उनके द्वारा एडी-94डी, शालीमार बाग, दिल्ली-110088 से प्रकाशित तथा आभा पब्लि"टी, 163, देशबंधु गुप्ता मार्केट, करोलबाग, नई दिल्ली से मुद्रित। स्वामी/संपादक/प्रकाशक/मुद्रक : डॉ. आशीष कुमार।

'AADHUNIK SAHITYA' A quarterly bilingual (Hindi & English) Journal of Literature, Culture & Modern Thinking owned/published/printed/edited by Ashish Kumar from AD-94-D, Shalimar Bagh, Delhi-110088 and printed at Abha Publicity, 163, Deshbandhu Gupta Market, Karolbagh, New Delhi.

अनुक्रम

संपादकीय

- डॉ॰ आशीष कंधवे / *शिक्षाः संस्कृति का संरक्षक* / 10

हिंदी प्रभाग

- डॉ. बिपिन कुमार ठाकुर / **जी 20 की अध्यक्षताः भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर / 15**
- उर्मिला शर्मा, कविता नाहरवाल / **भगवान चित्रगुप्त / 20**
- डॉ. दीपांकुर जोशी, डॉ. शालिनी चौधरी / **घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण: एक अध्ययन / 23**
- डॉ. अमृता श्री / **राष्ट्रभाषा हिंदी की आवश्यकता / 30**
- कुलदीप कुमार, डॉ. रीता सिंह / **एस. आर. हरनोट की कहानियों में वृद्धों का जीवन संघर्ष / 35**
- साकेत बिहारी / **भाषा का प्रश्न और राष्ट्रीय शिक्षा नीति / 41**
- दिगंत द्विवेदी / **कोंदर जनजाति की सामाजिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन / 50**
- डॉ. नलिनी सिंह / **वैश्विक पटल पर भाषा का प्रश्न और हिंदी भाषा की स्थिति / 54**
- अपर्णा वर्मा, डॉ. वी. शिरिषा / **भारतीय भाषाओं के उन्नयन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 / 61**
- बसंत कुमार / **भारत में राष्ट्रीयता और हिंदी भाषा/ 66**
- स्वप्निल पांडेय / **वैश्विक अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर हिंदी भाषा / 70**
- श्रीमती पॉली भौमिक / **त्रिपुरा में हिन्दी का भाषाई महत्त्व / 74**
- डा॰ आनंद जायसवाल, ममता रानी / **पत्रकारिता और हिन्दी भाषा का आंतरिक सम्बन्ध / 77**
- नंदकिशोर / **नन्द किशोर नवल : भाषाई व्यक्तित्व / 82**
- राजेश कुमार / **हिन्दी के अन्तर्राष्ट्रीय करण में प्रवासी साहित्य का योगदान / 94**
- श्रीमती चैताली सलूजा, डॉ. नंदिनी तिवारी / **भाषा का प्रश्न और प्रवासी साहित्य / 98**
- डॉ. परिस्मिता बरदलै / **असमीया संस्कृति और राम-कथा की परंपरा / 107**
- डा. सुजीत कुमार, डा. गौरव रंजन / **इंटरनेट के युग में लोकजीवन एवं युवाओं की सामाजिक चेतना / 122**
- बी आकाश राव / **पूर्वोत्तर की भाषाई विविधता और हिंदी उपन्यास / 125**
- सिमरन / **ब्रिटेन की चयनित प्रवासी हिन्दी कहानियों में स्वदेशभक्ति / 130**
- पूजा / **भाषा का प्रश्न एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति / 135**
- कुसम सबलानिया / **भाषा का प्रश्न और पूर्वोत्तर का हिंदी साहित्य / 140**

घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण: एक अध्ययन

–डॉ. दीपांकुर जोशी
–डॉ. शालिनी चौधरी

भारत की जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न चिंताओं को दूर करने में सक्षम होने के लिए एक बहु-आयामी नीति तैयार करना आवश्यक है। महिला आयोगों के विशेषज्ञों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की नीतियों और दिशा-निर्देशों के निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सभी स्तरों पर कार्य योजना तैयार करते समय महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर समूहों से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखा जा सके।

'Women are the only exploited group in history to have idealized in powerlessness' - Karl Marx

प्रस्तावनाः

समाज में महिला और पुरुष दोनों ही महत्त्वपूर्ण एवं सक्रिय योगदान देते है। दोनों में से किसी एक के योगदान के बिना सामाजिक चक्र चरमरा जाता है। परिवार इस सामाजिक संरचना की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है और महिला तथा पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के साथ महिला और पुरुष की पारिवारिक स्थिति में भी परिवर्तन होते गये। परिवार में पुरुष का कार्यदायित्व परिवार चलाने के लिए धनार्जन और परिश्रम कर संसाधनों को जुटाना था और महिला का कार्यदायित्व गृह कार्यों को संपन्न करने के साथ-साथ संतान व आश्रित व्यक्तियों का पालन पोषण करना था अथार्त इस व्यवस्था के द्वारा एक प्रकार से कार्य-विभाजन द्वारा पारिवारिक व्यवस्था को चलाये रखना था। परिवार की इस व्यवस्था में पुरुष की मानसिकता सदैव श्रेष्ठ समझे जाने की रही है। पुरुष को लगता है कि जीविकापार्जन के लिए जो कार्य वह कर रहा है, वह कार्य ज्यादा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और महिला द्वारा किए जा रहे घरेलु या गृह कार्य महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योकि इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है। इस तरह की सोच समाज में आमतौर से विद्यमान रही है और महिलाऐं भी कहीं ना कहीं इस सोच को पुष्ट करती रहीं है। जबकि हम यह भूल गए हैं कि गृह कार्यो में श्रम के साथ कुशलता व विवेकशीलता की भी आवश्यकता होती है तभी परिवार एक इकाई के रूप में कार्य कर पाता है। यदि समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से देखे तो शक्तिशाली व्यक्ति प्रकृति के सृजनकाल से ही कमजोर को दबाने का प्रयास करता दिखा है। जब श्रेष्ठ होने की सोच बलवती हो और द्वितीय पक्ष कमजोर हो तभी इस सोच का विकास होता है और इसका अगला

पड़ाव हिंसा है। जहाँ बलवान कमजोर पर बल का प्रयोग करने से भी बाज नहीं आता है और यह घरेलु हिंसा का स्वरूप ले लेता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वैश्विक आयाम चिंताजनक है। कोई भी देश या समाज ऐसी हिंसा से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता, एकमात्र भिन्नता, स्वरूप या प्रकृति में हो सकती है। महिलाओं का विनिदिष्ट समूह अधिक पीड़ित है जिससे अल्पसंख्यक समूह, अप्रवासी महिलाएं, शरणार्थी महिलाएं और सशक्त संघर्ष की स्थिति में रहने वाली महिलाएं, संस्थानों और निषेध में रहने वाली महिलाएं, निर्योग्य महिलाएं, लड़कियां और वृद्ध महिलाएं शामिल है।

भारत सरकार और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी राष्ट्रों की प्रगति पर यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि लिंग आधारित भेदभाव के कारण कन्या भ्रूण हत्या से लेकर घरेलु हिंसा तक दहेज हत्या से लेकर शारीरिक हमले तक वे जिम्मेदार कारक हैं जो महिलाओं/बेटियों के पैदा होने से पहले ही ऐसा भेदभाव शुरू हो जाता है और यह मरते दम तक चलता रहता है।

घरेलु हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत के राजपत्र में 14-09-2005 को अधिसूचित किया गया।

यह अधिनियम घरेलु हिंसा के सभी रूपों से महिलाओं का संरक्षण करने के लिये व्यापक विधायन है। यह अधिनियम किसी भी प्रकार की हिंसा, भौतिक, यौन, मानसिक, शाब्दिक या भावनात्मक को समाहित करता है। यह अधिनियम 26-10-2006 को प्रवर्तित किया गया। अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धारायें हैं।

अधिनियम की धारा-3 घरेलु हिंसा को परिभाषित करती है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य स्रोत या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलु हिंसा गठित करेगा यदि वहः

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की चाहे उसकी मानसिक या शारिरिक भलाई को अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न् करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और और जिसके अंतर्गत शारिरिक दुरूपयोग और अधिक दुरूपयोग कारित करना भी है।

(ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की आपूर्ति के लिये उसे या उससे संबन्धित किसी अन्य व्यक्ति को प्रदर्शित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि कारित करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है।

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है या

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

धारा 3 के प्रयोजन के लिए

1. शारीरिक दुरुपयोग- शारीरिक दुरुपयोग से कोई भी कृत्य या आचरण जो कि व्यथित व्यक्ति के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को शारीरिक दर्द कारित करता है या नुकसान करता है इसमें शामिल है। जैसे- हमला करना या आपराधिक अभित्रास करना और आपराधिक बल प्रयोग करना अभिप्रेत है।

2. यौन दुरूपयोग- यौन दुरुपायोग में सम्मिलित है यौन प्रकृति का कोई भी आचरण जो महिला की गरिमा का दुरूपयोग करता है, उसे अपमानित करता है, तिरस्कृत करता है या उसका उल्लंघन करता है।

3. भावनात्मक दुरुपयोग- भावनात्मक दुरुपयोग में शामिल है अपमान, हंसी उड़ाना, तिरस्कार करना, गाली देना और कोई संतान या लड़का नहीं होने के बारे में विशेषकर अपमानित करता है या हसी उड़ाता है। या किसी भी व्यक्ति जिससे व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है को शारीरिक दर्द पहुंचाने की बार-बार धमकी देता है।

4. आर्थिक दुरुपयोग- आर्थिक दुरुपयोग में सम्मिलित है कोई भी या सभी आर्थिक या वित्तीय संसाधन जिससे व्यथित व्यक्ति विधि या प्रथा के अधीन है चाहे न्यायालय के आदेश के अधीन संदेय हो या व्यथित व्यक्ति की आवश्यकता होने के कारण अपेक्षित है, से वंचित करना इसमें शामिल है।

घरेलु हिंसा के कारण

भारत में घरेलु हिंसा केवल आज की समस्या नहीं है बल्कि इसका आधार सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रहा है। कुरीतियॉ, रीति-रिवाज, मूल्यों विश्वासों ने जिस पुरूष प्रधान व्यवस्था को जन्म दिया उसके कारण लिंगगत भेदभाव, असमानता दहेज़, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक अन्यायकारी व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला। समय के साथ सामाजिक सोच में बदलाव तो हुआ परन्तु कुछ नए कारणों के उत्पन्न होने से समस्या का समाधान और सामाजिक सोच में बड़ा बदलाव नहीं हो सका। भौतिकवाद के साथ बढ़ते उपभोगतावाद और व्यक्तिवाद ने पारिवारिक कुसामंजस्य को बढ़ावा दिया है। भोग- विलास, फैशन परस्ती के कारण पारस्परिक आदर, श्रद्धा, स्नेह और मान-सम्मान का महत्त्व समाप्त हो गया है। घरेलु हिंसा के लिए सामाजिक कुप्रथाओं का योगदान सर्वाधिक है। दहेज, बाल-विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ घरेलु हिंसा को प्रेरित करती हैं। यद्यपि कुरीतियों को ख़त्म करने के प्रयास होते रहें है, परन्तु पूर्ण विराम के न लग पाने के पीछे के कारण अशिक्षा, निर्धनता, रुढ़िवादी सोच है। इनका स्वरूप बदल गया है, पर ये समाज में अभी भी व्याप्त हैं। आधुनिकता की प्रवृति, उपभोगतावादी सोच ने भोगविलास को बढ़ावा दिया है। परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की मांग और व्यक्तिगत कर्तव्यों को तिलांजलि ने पारिवारिक विवादों को बढ़ावा दिया है। जिसमें घरेलु हिंसा को भी बढ़ावा मिला है। तथाकथित आधुनिकता ने यौनाचार, अविवाहित मातृत्व, गर्भपात, परपुरुषगमन की स्थितियां पैदा कर पारिवारिक संघर्ष को बढ़ावा दिया है। वैवाहिक जीवन की विफलता, अश्लील साहित्य, फिल्मों, वेबसीरिज, टी.वी. कार्यकर्मों में परोसी जा रही अश्लीलता ने भी घरेलु हिंसा की प्रवत्ति को बढ़ा दिया है। महिलाओं में अशिक्षा भी एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक है जिसके कारण महिलाएं चारदीवारी के अन्दर घरेलु हिंसा का शिकार होती हैं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के प्रावधान में समय-समय पर महिला जागरूकता अभियान एवं परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। जिसमें महिलाओं के साथ पुरुषों को भी लिंग आधारित संवेदनशील होने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोनो वायरस से लड़ने के लिए देशव्यापी तालाबंदी के बीच उत्तराखंड में घरेलु हिंसा के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, इसके बाद हरियाणा और दिल्ली का स्थान है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोरोना के दौरान घरेलु हिंसा के जो आँकड़े जारी किये है। इस अवधि के दौरान प्रदान की गई कानूनी सहायता पर प्राधिकरण की अंतरिम रिपोर्ट और आंकड़ों के अनुसार, घरेलु हिंसा के 63 मामले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, 144 मामले उत्तराखंड से और 79 मामले हरियाणा से सामने आए। पीड़ित महिलाओं ने काउंसलर से संपर्क कर मदद मांगी। ऐसी स्थिति में समाज कार्य विषय की प्रासंगिकता अधिक बढ़ जाती है कि ये सब समाज में जनजागरण का कार्य करें और समुदाय स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

उपचार

घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलु हिंसा से सम्बंधित सूचना को व्यथित व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाना आवश्यक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसे यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कार्य किया गया है या किया जा रहा है अर्थात पड़ोसी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, सम्बन्धी इत्यादि पीड़ित की ओर से पहल कर सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत घरेलु हिंसा से व्यथित व्यक्ति के अधिकार

1. अधिनियम की धारा 5 (महिलाओं के संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान) के अधीन उन अधिकारों को जानने और अनुतोष के विषय में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता से जानने का अधिकार।
2. संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सहायता प्राप्त कर शिकायत दर्ज करने और अनुतोष के लिए आवेदन में सहायता प्राप्त करने का अधिकार।
3. धारा 18 के अधीन घरेलु हिंसा के कृत्यों से स्वयं एवं अपनी संतानों/संतान के लिए संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार।
4. धारा 19 के अधीन उसी घर में (जहाँ घरेलु हिंसा हुई है) में रहने और अन्य रहने वाले व्यक्तियों के हस्तक्षेप के बिना अलग अपनी संतानों के साथ निवास करने का अधिकार है।
5. धारा 18 के अधीन पीड़ित के स्त्रीधन, आभूषण, कपड़ों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं और अन्य सामग्रियों पर कब्ज़ा पाने का अधिकार।
6. धारा 6,7,9,14 के अधीन चिकित्सीय सहायता, आश्रय, परामर्श और विधिक सहायता प्राप्त करना।
7. धारा 18 के अधीन घरेलु हिंसा कारित करने वाले से दूर रहना, धारा 22 के अधीन शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकार।

8. घरेलु हिंसा के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित कथन की प्रतियाँ प्राप्त करना और किसी खतरे से बचाव के लिए पुलिस या संरक्षण अधिकारी से सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के आंकलन से स्पष्ट होता है कि घरेलु हिंसा से पीड़ित महिला को अपनी सामाजिक परिस्थिति व आर्थिक परिस्थिति में रहने का अधिकार प्राप्त है। अपनी संतानों के संरक्षण के लिए भी सहायता प्राप्त कर सकने का अधिकार प्राप्त है। महिला घरेलु हिंसा कारित करने वाले व्यक्ति से अनुतोष प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने व उसी घर में निवास करने का भी अधिकार रखती है। इस स्थिति में उसे सक्षम प्राधिकारी या संरक्षण अधिकारी से स्वयं की शारीरिक सुरक्षा और अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त है।

घरेलु हिंसा से संरक्षण के लिए सुझावः

आवश्यकता है कि समस्त महिलाओं को उनके अधिकारों को जानने के लिए कदम उठाये जाएं, संगोष्ठियां, सामाजिक कार्यकर्ताओं विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा समय समय पर कार्यक्रम, जागरूकता अभियान चलाए जाएं जहाँ विधिक परामर्शदाताओं और अर्थशास्त्रियों या अर्थशास्त्र विभाग के साथ मिलकर महिलाओं को उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित भी किया जाए। महिलाओं को भरोसा दिलाया जाए कि उनके पास कई अधिकार हैं और वे उचित फोरम के माध्यम से संरक्षण भी प्राप्त कर सकती हैं।

जब व्यक्ति घरेलु हिंसा के प्रति अधिक अभ्यस्त हो जाता है तब भी महिलाओं पर दुर्व्यवहार का प्रतिशत बढ़ जाता है। पुरुष जहाँ एक ओर अपनी कुंठा और गलत आदतों के कारण महिलाओं पर अत्याचार करता है वही दूसरी ओर वह अपनी गलती को स्वीकार ना करते हुए अनेक तर्क देता है कि जो कुछ एक महिला सहन कर रही है यह उसके कर्मों की अथवा अपनी की गयी गलतियों की ही सजा है, कई बार चापलूसी वस माफ़ी भी मांगी जाती है परंतु यह माफ़ी सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं होती क्योंकि घरेलु हिंसा की प्रवृति बार-बार दोहराई जाती है और उस पर महिलाओं को उनके आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त ना होने के कारण अनेक यातनाओं को चुपचाप सहना पड़ता है।

जहाँ एक ओर घरेलु हिंसा के लिए कानून बना है वही रिपोर्ट करने के बाद के प्रभावों और सामाजिक रूप से फिर अनेक प्रकार की यातनाओं और संघर्षों को सोच कर एक महिला इसको अपना भाग्य समझ कर ज्यादातर चुप रहने में ही समझदारी समझती है क्योकि एक अकेली महिला के लिए यदि वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उस परिस्थिति में परिवार और बच्चों का भरण-पोषण और कई अन्य समस्याएं भी सामने आती हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि घरेलु हिंसा समुदाय में उच्च अनुपात में होती है। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए परिणाम बड़े भयावह होते हैं और अंततः घरेलु हिंसा से मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है। उचित और समय पर हस्तक्षेप के लिए, घरेलु हिंसा की सीमा और प्रकृति को जानना महत्त्वपूर्ण है। (शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण

महिलाओं में हिंसा होने की संभावना काफी अधिक रही है। ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि उन ग्रामीण महिलाओं में शहरी महिलाओं की तुलना में कम शिक्षा, कम आय और अपने अधिकारों के बारे में कम जागरूकता होती है। भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद भी हिंसा की दर में कोई अंतर नहीं आ रहा है वरन हिंसा के नए-नए तरीके इजाद किये जा रहे हैं, हम किस तरह की महिला सशक्तिकरण की बाँट-जोह रहे हैं जबकि समाज का आधा तबका अभी भी शोषित, प्रताड़ित और संघर्षरत है कि उसको भी पुरुष के समान ही मानव समझा जाए।

इसी कारण से भारत में घरेलु हिंसा के बढ़ते मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक मजबूत और कुशल रिपोर्टिंग तंत्र का होना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। भारत की जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न चिंताओं को दूर करने में सक्षम होने के लिए एक बहु-आयामी नीति तैयार करना आवश्यक है। महिला आयोगों के विशेषज्ञों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की नीतियों और दिशा-निर्देशों के निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सभी स्तरों पर कार्य योजना तैयार करते समय महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर समूहों से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखा जा सके। इस हेतु समान अवसर आयोग का गठन किया जाना चाहिए। घरेलु हिंसा से सम्बंधित मुद्दों को एक आवश्यक सेवा के रूप में शामिल करना होगा। घरेलु हिंसा के मामलों को अत्यधिक तत्परता से निपटने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में गृह विभाग द्वारा कम से कम एक पुलिस अधिकारी को नामित किया जाना चाहिए।

अधिक संख्या सुरक्षित आश्रय गृहों और पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थान की उपलब्धता सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध होनी चाहिए। कॉलर-ट्यून, रेडियो, समाचार-पत्र, टेक्स्ट संदेश और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से प्रभावशाली लोगों के माध्यम से घोषणा करके हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पते या व्हाट्सएप नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

इसके अतिरिक्त अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं -

1. विवाह के इच्छुक जोड़ों को विवाह पूर्व परामर्श प्रबंधन करने के तरीके के बारे में एवं उनके वैवाहिक संबंध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण इत्यादि की शिक्षा और जागरूकता दिया जाना आवश्यक है।
2. समय के अनुसार परिवर्तित होती परिस्थितियों में खास जगह के रीति-रिवाज और आधुनिकता के पैमानों पर जनजागरण के माध्यम से सार्वजनिक ज्ञान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
3. घरेलु हिंसा के नकारात्मक प्रभावों पर मीडिया के माध्यम से जनजागरण आवश्यक है।
4. प्रत्येक धर्म के धर्माचार्यों को भी सख्ती से इसके खिलाफ आवाज उठाने के साथ इसकी शिक्षा देनी चाहिए।
5. युवाओं को इस ओर अधिक जागरूक करने की जरूरत है और यह कार्य प्रथम स्तर पर घर से ही शुरू होना चाहिए ताकि नैतिक शिक्षा के माध्यम से लिंग-आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं किया जाये।

6. समाज के प्रत्येक वर्ग चाहे वे पेशेवर हों या फिर अन्य सभी को इस विषय में सम्पूर्ण विधिक प्रावधानों एवं दंड इत्यादि के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए ताकि ऐसे किसी कृत्य को करने से पहले ऐसे व्यक्ति सतर्क रहे कि उनको भी किस यातना से गुजरना पड़ सकता है।
7. लिंग-आधारित भेदभाव के प्रति लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया जाना चाहिए और इसको अभ्यास में लाया जाना चाहिए।

सन्दर्भ:

1. घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005
2. घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण नियम 2006
3. डॉ० सुमन राय, कमेटी घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
4. Ankur K. Domestic violence in India: Causes, consequences and remedies (document on the Internet) Youth Ki Awaaz; 2010. [Last accessed on 2018 Mar 19]. Available from: http://www.youthkiawaaz.com/2010/02/domestic-violence-in-indiacausesconsequences-and-remedies-2/ [Google Scholar]
5. Charlette SL, Nongkynrih B, Gupta SK. Domestic violence in India: Need for public health action. Indian J Public Health. 2012;56:140–5. [PubMed] [Google Scholar]
6. Patel V. Gender in mental health research. Geneva: World Health Organization; 2004. [Last accessed on 2018 Mar 19]. pp. 11–21. World Health Organization. Gender and Health Research Series. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstrem/handle/10665/43084/9241592532.pdf;jsessionid=B1254B7C832653F0B11AAC5BB4F2BA7A/sequence=1 . [Google Scholar]
7. International Institute for Population Sciences (IIPS) and Macro International. National Family Health Survey (NFHS-3), 2005-06 Domestic Violence: India. I. Mumbai: IIPS; 2007. [Last accessed on 2018 Mar 19]. Available from: http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FRIND3/15 Chapter 15.pdf . [Google Scholar]
8. https://swarajyamag.com/news-brief/uttarakhand-records-most-number-of-domestic-violence-cases-during-lockdown-reports
9. https://www.researchgate.net/publication/350048435_CRIME_AGAINST_WOMEN_IN_THE_STATE_OF_UTTARAKHAND_A_SOCIAL_STAIN

❒❒❒

1. सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
2. सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी